अध्याय-3
कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अध्याय-3

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के पालन से संबंधित है, जिसमें निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित करने, निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति और निदेशक मण्डल और उसके अंतर्गत गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक आंतरिक प्रणाली है जिसमें व्यापक नीतियों, प्रक्रियाओं और लोगों को शामिल किया गया है, जो प्रबंधन गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जरूरतों को पूरा करती है। किसी संगठन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचा चार स्तंभों नामत: पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता पर निर्भर करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन, व्यवसाय में जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है, और हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

3.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 2013[1] उन्नत एवं नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक औपचारिक संरचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता, बोर्ड की बैठकों तथा इसकी शक्तियों और लेखाओं के संबंध में कम्पनी नियम, 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किए। कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं कम्पनी नियम, 2014 कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आवश्यकतायें प्रावधानित की गई हैं:

- प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों (स्व नि) के रूप में अनिवार्य नियुक्ति और सार्वजनिक कम्पनियों के किसी वर्ग या वर्गों के मामले में ऐसी अन्य न्यूनतम संख्या जो केंद्र सरकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अंतर्गत निर्धारित कर सकती है।

[1] कम्पनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया।

- स्व नि के व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ योग्यता (धारा 149(6) एवं (8) और अनुसूची IV कम्पनियों के नियम 5 सपठित (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता), नियम, 2014)।
- सूचीबद्ध कम्पनियों [धारा 149(1)] और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार कम्पनियों के ऐसे अन्य वर्ग के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना जैसे लेखापरीक्षा समिति [धारा 177(1)], नामांकन और पारिश्रमिक समिति [धारा 178(1)]।
- प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो क्रमागत बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो [धारा 173(1)]।

3.1.2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देश

सेबी ने, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 अधिसूचित किया (02 सितम्बर 2015), जो पूर्व के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 01 दिसम्बर 2015 से प्रभावी हुआ।

उत्तराखण्ड में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क) किसी प्रतिभूति विनिमय बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सेबी के दिशानिर्देश[2] उस पर लागू नहीं होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2022-23 के दौरान 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) (18 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन[3] की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

---

2 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के साथ इसे संरेखित करने के लिए लिस्टिंग समझौते के खंड 49 (अप्रैल और सितंबर 2014) में संशोधन किया।

3 चार कार्यरत रा सा क्षे उ सांविधिक निगम हैं, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और संबंधित नियम उन पर लागू नहीं होते।

3.3 निदेशक मण्डल की संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) के अनुसार एक कम्पनी के संबंध में 'निदेशक मंडल' या 'बोर्ड', का अर्थ कम्पनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है। निदेशक मण्डल की संरचना में कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3.3.1 बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हों, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार, एक कम्पनी के संबंध में एक स्व नि का अर्थ प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अतिरिक्त एक निदेशक है और यह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति है एवं प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव रखता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रवर्तक होंगे और न ही कम्पनी अथवा इसकी होल्डिंग, अनुषंगी अथवा सहयोगी कम्पनी के प्रवर्तकों/निदेशकों से संबंधित होंगे। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके संबंधियों का कम्पनी अथवा उसकी सहायक कम्पनी अथवा उसकी होल्डिंग अथवा सहयोगी कम्पनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से अधिक तथा निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/संव्यवहार (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अतिरिक्त) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके संबंधी, निर्धारित समय-सीमा के दौरान कम्पनी या उसकी होल्डिंग, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ मुख्य प्रबंधकीय पद या कोई अन्य विहित संबंध अर्थात कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कम्पनी के सचिव आदि धारण नहीं करेंगे।

जैसा कि ***प्रस्तर-3.1.1*** में चर्चा की गई है, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई निदेशकों को स्व नि के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में प्रावधान है कि सार्वजनिक कम्पनियाँ जिनकी (i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी; या (ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या (iii) कुल बकाया ऋण, ऋणपत्र और जमा राशियाँ ₹ 50 करोड़ से अधिक हैं, उनमें कम से कम दो निदेशकों का स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक उपरोक्त तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा नहीं करती है तो उसे तब तक स्व नि नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह ऐसी

किसी शर्त को पूरा नहीं कर लेती। इसके अतिरिक्त, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनियों के तीन वर्गों अर्थात् संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी अथवा निष्क्रिय कम्पनी को भी स्व नि की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यरत 19 रा सा क्षे उ में से, ***परिशिष्ट-3.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार 12 रा सा क्षे उ, ने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो चुकता शेयर पूँजी या टर्नओवर या बकाया ऋण, ऋणपत्रों और जमा राशियों के उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा किया है। इन 12 रा सा क्षे उ में से, आठ रा सा क्षे उ के पास वर्ष 2022-23 के दौरान अपने निदेशक मण्डल में कम से कम दो स्व नि [4] की आवश्यक संख्या नहीं थी, इसकी स्थिति नीचे **तालिका-3.1** में दी गई है।

तालिका-3.1: अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले रा सा क्षे उ की स्थिति

क्र. सं.	कम्पनियों के नाम	2022-23 के दौरान बोर्ड में स्व नि की संख्या
1	पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	01 (07 अक्टूबर 2022 तक)
2	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निरंक
3	उत्तराखण्ड बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	निरंक
4	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निरंक
5	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	निरंक
6	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	निरंक
7	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	निरंक
8	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निरंक

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, आठ रा सा क्षे उ ने अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्व नि रखने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इनमें से सात रा सा क्षे उ के बोर्ड में एक भी स्व नि नहीं था। इसके अतिरिक्त, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के संबंध में, वर्ष 2022-23 (07 अक्टूबर 2022 तक) के दौरान केवल एक स्व नि था, इसके बाद, वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में कोई स्व नि नहीं था।

---

[4] चूंकि कोई भी रा सा क्षे उ किसी प्रतिभूति विनिमय बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए किसी भी रा सा क्षे उ को स्व नि के रूप में अपने कुल निदेशकों की एक तिहाई नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.3.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) सपठित कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 में प्रावधान है कि निम्नलिखित श्रेणी की कम्पनियों के निदेशक मण्डल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी:

i. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

ii. प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी जिसके पास-

(क) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की चुकता अंश पूँजी; या

(ख) ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर।

इसके अतिरिक्त, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र भरा जाना था किंतु अगली बोर्ड बैठक के तत्काल बाद अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो।

हालाँकि उत्तराखण्ड का कोई भी रा सा क्षे उ भारत के किसी भी प्रतिभूति विनिमय बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं था, फिर भी चार कार्यरत[5] सरकारी कम्पनियाँ अपने बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की शर्तें पूरा कर रही थीं। हालाँकि, इनमें से एक कम्पनी, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, के बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

3.4 निदेशक मण्डल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक मण्डल की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

परिशिष्ट-3.1 में उल्लिखित 19 कार्यरत रा सा क्षे उ (एकमात्र स नि अ क यानी उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम सहित) में से आठ रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं कीं, जैसा कि **तालिका-3.2** में दिया गया है।

---

[5] उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

तालिका-3.2: बोर्ड की बैठकों की संख्या में कमी वाली कम्पनियाँ

क्र. सं.	ऐसी कम्पनियाँ जिन्होंने निदेशक मण्डल की अपेक्षित संख्या चार बैठकों से कम आयोजित की	2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या
1	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	02
2	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	02
3	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	02
4	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	02
5	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	01
6	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01
7	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	01
8	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	निरंक

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, आठ रा सा क्षे उ ने निदेशक मण्डल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है और इनमें से एक रा सा क्षे उ अर्थात उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान एक भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, 11 रा सा क्षे उ में से, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित की थीं, चार रा सा क्षे उ के मामले में, निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक थी, जैसा कि **तालिका-3.3** में वर्णित है।

तालिका-3.3: निदेशक मण्डल की लगातार दो बैठकों के आयोजन में मध्यवर्ती अवधि

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	बीच की अवधि (दिनों में)
1.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	23.05.2022	27.09.2022	127
2.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	01.09.2022	25.01.2023	146
3.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	01.08.2022	04.01.2023	156
4.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	28.09.2022	28.03.2023	181

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

3.5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कामकाज

3.5.1 स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करने की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार प्रत्येक स्व नि को बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है, तथा उसके बाद प्रत्येक

वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यह घोषणा करनी होगी कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

इस संबंध में, पाँच रा सा क्षे उ में से, जिन्हें स्व नि से अपनी स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक था, तीन रा सा क्षे उ ने, नीचे **तालिका-3.4** के अनुसार, इसे प्राप्त नहीं किया।

तालिका-3.4: रा सा क्षे उ जिन्होंने स्व नि से घोषणा प्राप्त नहीं की

क्र. सं.	कम्पनियों के नाम
1.	यू जे वी एन लिमिटेड
2.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल)
3.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, तीन रा सा क्षे उ के स्व नि ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक घोषणाएं नहीं की हैं। सात रा सा क्षे उ के बोर्ड में कोई स्व नि नहीं था। इस प्रकार, इन रा सा क्षे उ द्वारा स्व नि की स्थिति की घोषणा की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया था।

3.5.2 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक का आयोजन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (VII) (1)] में प्रावधान है कि कम्पनी का स्व नि एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें गैर-स्व नि और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के सभी स्व नि ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। बैठक में - (क) गैर-स्व नि और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा; (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा; और (ग) कम्पनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन, जो बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग और यथोचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है, किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन पाँच रा सा क्षे उ के निदेशक मण्डल में स्व नि थे, उनमें से चार रा सा क्षे उ के पास एक से अधिक स्व नि थे। इन चार रा सा क्षे उ के स्व नि को वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-स्व नि और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान चार रा सा क्षे उ के स्व नि द्वारा आयोजित अलग बैठकों की स्थिति **तालिका-3.5** में दी गई है।

तालिका-3.5: स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित अलग बैठक

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	2022-23 के दौरान आयोजित अलग बैठकों की संख्या	निदेशक मण्डल में स्व नि की संख्या
1.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01	04
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	01	04
3.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	निरंक	02
4.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	निरंक	02

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इन चार रा सा क्षे उ में से दो रा सा क्षे उ के स्व नि ने वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त बैठक आयोजित नहीं की थी। स्व नि की अलग बैठक आयोजित करने का उद्देश्य गैर-स्व नि, कम्पनी के अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। हालाँकि, इसकी समीक्षा नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन नहीं किया जा सका।

3.6 निदेशक मण्डल की समितियाँ

बोर्ड समिति, निदेशक मण्डल द्वारा चिन्हित एक छोटा कार्य समूह है, जिसमें बोर्ड के सदस्य शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य बोर्ड के कार्यों में सहयोग करना होता है। बोर्ड समितियाँ सामान्यतः कुछ विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करने के लिए गठित की जाती हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कम्पनियों को विभिन्न बोर्ड समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, हितधारक संबंध समिति, आदि का गठन करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन और कामकाज का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति किसी भी कम्पनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। लेखापरीक्षा समिति का उद्देश्य कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रामाणिकता में विश्वास बढ़ाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) सपठित कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध

सार्वजनिक कम्पनी और कम्पनियों के निम्नलिखित वर्गों (संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और निष्क्रिय कम्पनी को छोड़कर) के निदेशक मण्डल एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेंगे:

(i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;

(ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;

(iii) ऐसी सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ, जिनमें कुल मिलाकर बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की जमाराशियाँ हों।

जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है, 19 रा सा क्षे उ में से 12 रा सा क्षे उ के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान एक लेखापरीक्षा समिति की आवश्यकता थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 12 रा सा क्षे उ में से छः रा सा क्षे उ में एक लेखापरीक्षा समिति थी और शेष छः रा सा क्षे उ में लेखापरीक्षा समिति नहीं थी, जैसा कि **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: वर्ष 2022-23 के दौरान रा सा क्षे उ जिसमें लेखापरीक्षा समिति नहीं थी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम
1.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड
4.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
5.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड
6.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक रा सा क्षे उ अर्थात उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.6.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) सपठित कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और कम्पनियों के निम्नलिखित वर्गों के निदेशक मण्डल एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेंगें जिसमें तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे:

(i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;

(ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;

(iii) ऐसी सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ, जिनमें कुल मिलाकर बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशियाँ हों।

जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है, 19 रा सा क्षे उ में से 12 रा सा क्षे उ को वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (ना पा स) रखने की आवश्यकता थी। इन 12 रा सा क्षे उ में से केवल तीन रा सा क्षे उ[6] में वर्ष 2022-23 के दौरान ना पा स थी। जैसा कि **तालिका-3.6** में दिया गया है, शेष नौ रा सा क्षे उ में वर्ष 2022-23 के दौरान ना पा स नहीं थी।

तालिका-3.7: रा सा क्षे उ जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम
1.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड
3.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
4.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड
5.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
6.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
7.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड
8.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
9.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, हालाँकि वर्ष 2022-23 के दौरान तीन रा सा क्षे उ में ना पा स थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान ना पा स की कोई बैठक नहीं हुई।

3.7 आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचा

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी (नवंबर 2018) आंतरिक लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाला ढाँचा, आंतरिक लेखापरीक्षा को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

'आंतरिक लेखापरीक्षा अभिशासन के स्तर को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करती है।'

तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि एक संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

[6] उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड और यू जे वी एन लिमिटेड।

3.7.1 रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कम्पनी (लेखा) नियम[7], 2014 के नियम 13 में प्रावधान है कि निम्नलिखित वर्ग की कम्पनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो एक सनदी लेखाकर या एक लागत लेखाकार, या ऐसा कोई अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा कम्पनी के कार्यों और गतिविधियों का आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए तय किया जा सकता है:

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी;

(ख) प्रत्येक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी-

(i) ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी; या

(ii) पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर;

(iii) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार;

(iv) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक की बकाया जमाराशि।

(ग) प्रत्येक निजी कम्पनी जिसके पास-

(i) पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार।

19 रा सा क्षे उ में से केवल सात रा सा क्षे उ ***(परिशिष्ट-3.2)*** ने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा किया। इनमें से पाँच रा सा क्षे उ[8] ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की थी, तथापि दो रा सा क्षे उ नामत: गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की।

---

7 समय-समय पर यथा संशोधित।

8 उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

3.8 निष्कर्ष

रा सा क्षे उ में कॉरपोरेट गवर्नेंस ढाँचे के कामकाज में कई कमियाँ थीं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- कार्यरत 12 रा सा क्षे उ में से, जहाँ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी, सात रा सा क्षे उ ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जबकि एक रा सा क्षे उ में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ जिनके बोर्ड में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे, द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई।
- चार कार्यरत रा सा क्षे उ में से, जहाँ महिला निदेशक की नियुक्ति अपेक्षित थी, एक रा सा क्षे उ में वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।
- एक रा सा क्षे उ ने 2022-23 के दौरान कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की, जबकि तीन रा सा क्षे उ ने 2022-23 के दौरान केवल एक बोर्ड बैठक आयोजित की और चार रा सा क्षे उ ने वार्षिक न्यूनतम चार बैठकों के सापेक्ष केवल दो बोर्ड बैठकें ही आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, चार रा सा क्षे उ में निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के सापेक्ष 127 दिनों से 181 दिनों के बीच थी।
- 12 रा सा क्षे उ, जिनके लिए एक लेखापरीक्षा समिति होना आवश्यक थी, में से छः रा सा क्षे उ ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया और एक रा सा क्षे उ के संबंध में, 2020-21 से 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
- 12 रा सा क्षे उ में से, जिनके लिए एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (ना पा स) की आवश्यकता थी, नौ रा सा क्षे उ ने ना पा स का गठन नहीं किया था।
- सात रा सा क्षे उ, जिन्हें आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक था, में से दो रा सा क्षे उ ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की।

3.9 अनुशंसा

उत्तराखण्ड सरकार रा सा क्षे उ को निर्देश दे सकती है कि वे रा सा क्षे उ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचे के कामकाज में प्रभावशीलता लाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।